न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 171/2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीया

1- कन्हैयालाल पुत्र रामगोपाल जाति स्वामी आयु 45 निवासी गाढ़ावास तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1-रामगोपाल पुत्र नाथूराम आयु 70 साल
2-रामनारायण पुत्र नाथूराम आयु 60 साल
3-घनश्याम पुत्र नाथूराम आयु 58 साल
4-ज्ञानाराम पूनिया पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी खुड़ी निम्बी
5-सुरेश स्वामी पुत्र रामनारायण स्वामी निवासी डीडवाना
6-तहसीलदार डीडवाना

प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित – श्री विकास सिंवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री आर.के. माथुर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 13/09/2019

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने एक राजस्व वाद दावा बाबत घोषणा खातेदारी बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा काा सुदृढ़ आधार पर अदालत में प्रस्तुत कर रखा है जो जैरतजबीज है, जिसमे प्रार्थीया को शत प्रतिशत सफलता मिलने की उम्मीद है, प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 व दावा मे वर्णित प्रतिवादी संख्या 4 ता 12 एक ही पूर्वज स्व. श्री नाथूराम पुत्र लिखमीदास स्वामी निवासी डीडवाना के जायज उत्तराधिकारीगण है जिनकी वंशावली (सजरा खानदान) निम्नवत है :–

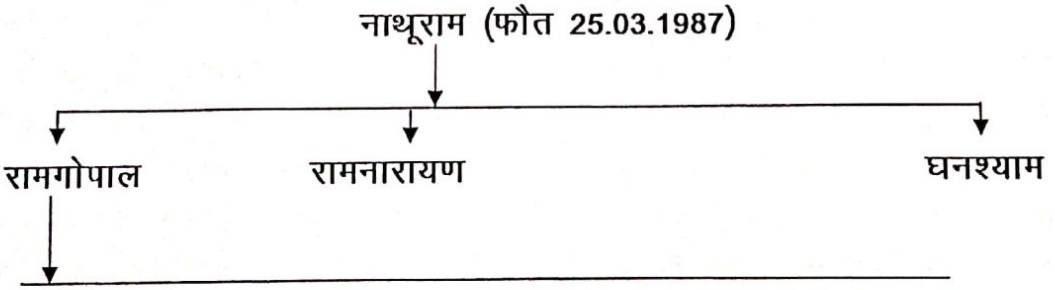

प्रार्थी व दावा में वर्णित प्रतिवादिनी सं. 6 राजूदेवी अप्रार्थी सं. 1 की प्रथम पत्नि स्व. श्रीमति गिनीदेवी से उत्पन्न सन्तान है, गिनीदेवी का दिनॉक 13.11.1967 को स्वर्गवास हो गया, तब अप्रार्थी संख्या 1 ने द्वितीय पत्नि रूकमणी से विवाह किया

... 2 ...

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जिससे दावा में वर्णित प्रतिवादीगण सं. 4, 5 व 7 ता 12 उत्पन्न हुई सन्तान है, प्रार्थी के दादा स्व. नाथूराम जी के जीवनकाल मे वे अपने संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान थ, तब उन्होने अपने जीवनकाल में कस्बा डीडवाना मे अवस्थित अचल सम्पतियॉ अर्जित की, जिनमें से कृषि भूमि वर्तमान खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा वाके शरहद पठानो का बाढ़ संयुक्त परिवार के सदस्य रामगोपाल के नाम से तथा खसरा नम्बर 82 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद पठानो का बाढ़ संयुक्त परिवार की परिवार के सदस्य रामनारायण के नाम से खरीद किया गया, जो कि स्व. नाथूराम के अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार के सभी सदस्यो की स्वीकारोक्त संयुक्त सम्पति रही है, उपरोक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की है, में अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 का एक समान हक अधिकार रहा है प्रार्थी के दादा नाथूराम जी का स्वर्गवास दिनॉक 25.03.1987 को हो गया तथा दादी लक्ष्मीदेवी का स्वर्गवास दिनॉक 13.07.2012 को हो गया, खसरा नम्बर 81 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा वाके शरहद पठानों का बाढ़ संयुक्त हिन्दू परिवार की परिवार के सदस्य रामगोपाल के नाम से तथा खसरा नम्बर 82 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा वाके शरहद पठानों का बाढ़ संयुक्त हिन्दू परिवार की परिवार के सदस्य रामनारायण के नाम से खरीद की गई, जो प्रार्थी के दादा स्व. नाथूराम के जीवनकाल में उनके संयुक्त हिन्दू परिवार के सभी सदस्यों की संयुक्त सम्पति रही, जिसमें स्व. नाथूराम के स्वर्गवास के पश्चात उनके तीनो पुत्रो अप्रार्थीगण 1 ता 3 का एक समान हक अधिकार अर्थात 1/3 भाग उत्पन्न हुआ, खेत खसरा नम्बर 81 82 की भूमि अप्रार्थी रामगोपाल का जो 1/3 भाग रहा, में प्रार्थी व दावा में वर्णित प्रतिवादीगण सं. 4 से 12 का प्रत्येक का 1/11–1/11 भाग जरिये विरासत के पैतृक है, अप्रार्थी सं. 1 ता 3 व प्रार्थी की बहन प्रतिवादी राजूदेवी को उनके जायक हक से महरूम रखने की नियत से उक्त खेताय की भूमि मे से अप्रार्थी सं.01 ने खसरा नम्बर 81 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा वाकेशरहद पठानों का बाढ़ से 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण सं. 13 व 14 जरिये पंजीकृत बेचान के दिनॉक 16.11.2012 को विक्रय कर दी एवं इसी खसरा की 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 3 को जरिये पंजीकृत गिफ्ट डीड दिनॉक 19.09.2013 को कर दी, जिसका इल्म प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने दस्तावेजात की नकले प्राप्त करके अप्रार्थी सं. 01 को इस सम्बन्ध में कहा, तो उसने प्रार्थी को बताया कि मैने मेरे हिस्से मे से उक्त बेचान किये है, जब प्रार्थी बिना बंटवारा के भूमि विक्रय करने बाबत एतराज किया तो अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को 21.10.2013 को स्पष्ट कहा कि खातेदारी मेरे नाम है, मै चाहॅ जैसा करूंगा, इससे प्रार्थी के जायज खातेदारी अधिकार खतरे में पड़ गये प्रार्थी उक्त स्वीकारोक्त पैतृक खातेदारी के खेताय की कुल भूमि के 1/3 भाग मे से जरिये उतराधिकार के 1/11 भाग की खातेदारी प्राप्त करने का हकदार है, प्रार्थीया के हक हिस्से की

... 3 ...

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

भूमि अप्रार्थीगण द्वारा यदि बेचान हस्तानान्तरण किया गया तो वह अपने हक हिस्से से महरूम रह जायेगी जिससे प्रार्थीया को होने वाले नुकसान की पूर्ति नही हो सकेगी एवं कई प्रकार की मुकदमेबाजी बढ़ेगी दौरान दावा ता फैसला वाद अप्रार्थीगण को किसी भी रूप में हस्तानान्तरण इत्यादि से रोका जाना अतिआवश्यक है प्रार्थीया की इस्तदुआ है कि प्रार्थीया के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अगर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि दौराने वाद ताफैसला के आवेदन पत्र में वर्णित पैतृक स्वामित्व की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा व खसरा नम्बर 82 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 05 बिस्वा वाके शरहद पठानो का बाढ़ में इसके किसी भाग को अप्रार्थीगण किसी अन्य को बेचाण, हस्तानान्तरण, निर्माण कार्य आदि न स्वयं करे और न किसी अपने आदमी या एजेन्ट से करवाये।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी संख्या 5 का नोटिस परिवर सदस्य से तामिल होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्य अस्वीकार है, अप्रार्थी का परिवार कभी भी विधिक संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार नही था और न इस रूप में स्वर्गीय श्री नाथूराम जी कर्ता खानदान थे, हिन्दू संयुक्त अविभाजित परिवार की विधिक स्थिति एवं कर्ता खानदान की विधिक स्थिति बिल्कुल पृथक होती है, केवल परिवार में साथ रहने से कोई परिवार हिन्दू संयुक्त अविभाजित परिवार की विधिक परिभाषा में नही आता, वादग्रस्त भूमि रामागोपाल ने क्रय की है स्व. नाथूराम द्वारा कभी भूमि विक्रय नही की गई है, रामगोपाल ने अपनी आय से किफायूत खॉ वल्द तस्दार खॉ व मौले खॉ पुत्र गुलाब खॉ पठान निवासी डीडवाना से साधिकार सप्रतिफल के अपने निजी नाम से अपनी निजी आय से दिनॉक 27.04.1972 को खरीद कर उसका कब्जा प्राप्त किया था, जो स्पष्ट एवं स्वअर्जित सम्पति है, उक्त सम्पति में रामगोपाल अप्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक, अधिकार अथवा कब्जा नही रहा है और न ही हो सकता है, उक्त खसरा नम्बर 81, 82 कभी भी पैतृक नही रही है, उक्त खरीद के पश्चात रामगोपाल के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज हुआ है,जिसमें कुछ भूमि का बेचान भी अन्य व्यक्तियो को किया गया है जिनके खसरा नम्बर पृथक दर्ज होकर उनके नाम खातेदार दर्ज हुई है, प्रार्थी का यह कथन गलत है कि कभी नाथूराम के तीनो पुत्रो के नाम भूमि दर्ज रही हो, खसरा नम्बर 81 की भूमि रामगोपाल की एवं खसरा नम्बर 82 की भूमि रामनारायण की स्वअर्जित व अधिकार की तथा कब्जा काश्त की भूमि है, अतः प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का

... 4 ...

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नही है प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी नकल,एवं सम्वत 2023–2026, 2038–2041, 2047–2050 की नकल की छाया प्रति प्रस्तुत की है, गिफ्ट डीड दिनॉक 19.09.2013, बेचान दस्तावेजात दिनॉक 16.11.2012 एवं 22.04.1972 की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, दोनो ही पक्षो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, जमाबन्दी नकल सम्वत 2023–2026 ग्रा पठानो का बाढ़ तहसली डीडवाना के खसरा नम्बर 81 रकबा 22 बीघा 1 बिस्वा बारानी द्वितीय में फजलू खॉ किफायत खॉ तुतलाखॉ पि. तसदार खॉ पठान, मोलाखॉ वलद गुलाबखॉ मोजू खॉ वल्द पन्ने खॉ पठान सा. डीडवाना दर्ज है, नकल खतौनी सम्वत 2038–2041 खसरा नम्बर 81 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में गोपाल पुत्र नाथूदार कौम साद सा. डीडवाना खातेदार, खसरा नम्बर 82 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा में नारायण पुत्र नाथूदास कौम साद सा. डीडवाना खातेदार दर्ज है,नकल खतौनी सम्वत 2047–2050 खसरा नम्बर 81 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में गोपाल पुत्र नाथूदार कौम साद सा. डीडवाना खातेदार, खसरा नम्बर 82 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा में नारायण पुत्र नाथूदास कौम साद सा. डीडवाना खातेदार दर्ज है, बेचान दस्तावेज 22.04.1972 अनुसार गोपाल पुत्र नाथू द्वारा खसरा नम्बर 81 रकाब 22 बीघा 01 बिस्वा भूमि क्रय की गई है, गिफ्ट डीड दिनॉक 19.09.2013 अनुसार गोपाल पुत्र नाथूदास साद डीडवाना द्वारा घनश्याम पुत्र नाथूदास साद डीडवाना के पक्ष में खसरा नम्बर 81 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा मे से से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि 2161500/– रूपये में किया गया है, बेचान दस्तावेज दिनॉक 16.11.2012 अनुसार गोपाल द्वारा खसरा नम्बर 81 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया है।

प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 81 की भूमि बेचान दस्तावेज 22.4.72 को स्वयं की निजी आय से क्रय की गई है जिसको फरोक्त करने एवं किसी भी रूप में अन्य के पक्ष में निष्पादन के पूर्ण हक एवं अधिकार है, वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थी को पिता के जीवित रहते किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते, गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र नाथुदास द्वारा जरिये गिफ्ट डीड दिनॉक 19.09.2013 अनुसार गोपाल पुत्र नाथूदास साद डीडवाना द्वारा घनश्याम पुत्र नाथूदास साद डीडवाना के पक्ष में खसरा नम्बर 81 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा मे से से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि 2161500/– रूपये में किया गया है, बेचान दस्तावेज दिनॉक 16.11.2012 अनुसार गोपाल द्वारा खसरा नम्बर 81 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में से 03 बीघा

....5.....

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

03 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया है। जो कानून सही है, एवं वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी रामगोपाल को बेचान करने रहन रखने इत्यादि पर पाबंद नही कराया जा सकता, चूँकि वादग्रस्त भूमि उनकी पैतृक नही होकर अकेले रामगोपाल की निजी आय से क्रय की हुई सम्पति है जिसकी पुष्टि उपलब्ध जमाबन्दी बेचान इत्यादि से साबित होती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित नही होने से काबिल खारिज है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 13/09/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner